

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), बहेड़ी, बरेली।

मूलवाद संख्या-161/2022

रामकुमार आदि

बनाम

चुन्नीलाल आदि

लंच बाद-

दिनांक-23.07.2026

पेश हुआ। पुकारा गया वादीगण उपस्थित नहीं। बार-बार पुकार लगाने पर भी वादीगण न्यायालय में उपस्थित नहीं थे। वादीगण के अधिवक्ता द्वारा कोई मौका प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया है। पिछली तिथि को भी वादीगण उपस्थित नहीं थे और उनको अंतिम अवसर दिया गया था। आज भी वादीगण उपस्थित नहीं हैं। समय दोपहर 03:30 बज रहा है फिर भी वादीगण उपस्थित नहीं हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वादीगण वाद के संचालन में रुचि नहीं ले रहे हैं। ऐसे में वाद वादीगण की अनुपस्थिति में खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

मूलवाद वादीगण की अनुपस्थिति में खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(योगेश कुमार चौधरी)

सिविल जज (जू०डि०)

बहेड़ी, बरेली।

J.O.Code-UP3653